न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 120 / 2017 (2017 / 00236) प्रार्थना पत्र

उनवान

1. ललित पिता रमेश चन्द्र व्यास निवासी संजय कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. मोहन पिता भूरा ब्राहम्ण निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मीठु पिता भूरा ब्राहम्ण निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लेहरू पिता भूरा ब्राहम्ण निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सुवालाल पिता हजारी कुमावत निवासी डांगकाखेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थी
2. सुनिल कुमार जैन — अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 14.03.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नाथड़ियास पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजी संख्या 2023 रकबा 0.19 हैक्ट. व आराजी संख्या 4078 / 2024 रकबा 0.16 हैक्ट कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 हैक्ट.तथा ग्राम मोटरोकाखेड़ा पटवार हल्का नाथड़ियास में स्थित आराजी संख्या 3971 / 2374 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 3972 / 2375 रकबा 0.27 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.50 है0 भूमिया स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थी की कृषि आराजियात के चारों तरफ सीमा के कोई मुस्तकिल निशानात नहीं होने की वजह से प्रार्थी को अपनी कृषि आराजियात में फसल काश्त कर, फसल लाभ लेने मवेशी चराने व घास काटने में विवाद उत्पन्न रहता है तथा विपक्षीगण आये दिन प्रार्थी की कृषि आराजियात में दखलअंदाजी करते रहते है प्रार्थी ने अपनी भूमि का सीमा ज्ञान करवाया परन्तु विपक्षीगण नही मान रहे है जिससे प्रार्थी की कृषि आराजियात की पत्थरगढ़ी कराया जाना आवश्यक हो गया है । प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई बार पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहां लेकिन विपक्षी हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे। प्रार्थी ने दिनांक 29.10.2017 को विपक्षीगण को अंतिम बार कहा लेकिन विपक्षी इंकार हो गये जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 16.11.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 2 व 3 की और से अधिकार पत्र सुनिल कुमार जैन अधिवक्ता वगैरा का पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्यष 1 एवं 4 के विरूद्ध प्रार्थी के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते

विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब पेश नही किया है अतः जवाब बन्द किया जाता है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम नाथड़ियास पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजी संख्या 2023 रकबा 0.19 हैक्ट. व आराजी संख्या 4078/2024 रकबा 0.16 हैक्ट कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 हैक्ट.तथा ग्राम मोटरोकाखेड़ा पटवार हल्का नाथड़ियास में स्थित आराजी संख्या 3971/2374 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 3972/2375 रकबा 0.27 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.50 है0 भूमिया स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 400/– अक्षरे चार सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 14.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा